यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग के अवधि 06/2012 से 12/2018 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री राजा रंजन राव ,श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.2019 से 21.01.2019 तक श्री टी. एस. नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग का भौगलिक अधिकार क्षेत्र विकास खण्ड- जखोली(रुद्रप्रयाग) मे संचालित प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विधालयों मे शिक्षा संबंधी कार्यों का समन्वय एवं क्रियाव्यन तथा कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, का कार्यालय का संचालन-व्यय किया जाता है तथा प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विधालयों के शिक्षकों का वेतन-भत्तो का भुगतान संबंधी कार्य किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का विकास खण्ड- जखोली(जनपद रुद्रप्रयाग) का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत -) (
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	2093.79	2092.85	9.26	9.23	-	0.97
2016-17	-	-	2211.92	2155.59	14.17	14.07	-	56.43
2017-18	-	-	2659.71	2582.95	10.80	10.79	-	76.77
2018-19 (माह 12/2018 तक)	-	-	2160.90	2144.44	17.27	0.62	-	33.11

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2015-16	शून्य					
2016-17						
2017-18						
2018-19 (माह 12/2018 तक)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग का कार्यालय व्यय-वेतन एवं भत्तों तथा प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विधालयों के शिक्षकों का वेतन-भत्तो का भुगतान किया जाता है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक , विधालयी शिक्षा

↓

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

↓

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)

↓

उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग । यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2015, 08/2016, 08/2017 & 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1- कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी जखोली जनपद –रुद्रप्रयाग की माह -06/12 से 12/2018 तक की संप्रेक्षा अवधि मे उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा कर्तव्यों एवं शक्तियों के अनुपालन मे इकाई स्तर पर बरती अनिमितता /उदासिनता के संबंध में।

उत्तराखंड शासन मध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2 – संख्या /XXIV-2/2012-6(3)/2012/ दिनाक -09/10/12 द्वारा विकास खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली जनपद रुद्रप्रयाग को आवंटित कर्तव्यों एवं शक्तियों के अनुपालन मे इकाई स्तर पर बरती गयी उदासिनता की संप्रेक्षा द्वारा जांच मे निम्न अनिमितता बरती गयी थी। जिनका विवरण निमन्वत है।

क्रम सं.	संप्रेक्षा द्वारा उपशिक्षा अधिकारी जखोली के कर्तव्यो एवं आधिकारों से संबन्धित की गयी टिप्पणी	इकाई द्वारा संप्रेक्षा द्वारा उपशिक्षा अधिकारी जखोली के कर्तव्यो एवं आधिकारों से संबन्धित की गयी टिप्परणी के संबंध मे संप्रेक्षा को सूचना एवं अभिलेखो की प्रति इकाई स्तर से आगामी संप्रेक्षा मे उपलब्ध कराने हेतु अपेकक्षित ।
01	शिक्षा के अधिकार से वंचित 06)से (14वर्ष के कितने छात्रो के पंजीकरण की जांच की गयी थी	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
02	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा कितनी बैठको मे प्रतिभाग किया गया था।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
03	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा कितनी प्रारंरभिक शिक्षा से संबन्धित परीक्षोंओ का सफल आयोजन संचालन किया गया था।/	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
04	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा कितनी शैक्षिक उननयन हेतु मासिक बैठको का आयोजन किया गया था ।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
05	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा कितने प्रकरण प्रारम्भिक एवं उच्च प्राथमिक विधालयों के शिक्षको को दक्षता पुरस्कार हेतु संस्तुति कर ज़िला शिक्षा आधिकारीको प्रेषित किया गया था। (प्रारम्भिक)	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।

06	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा कितने शिक्षको एवं छात्रो की नियमत उपसतिथी)attendance) का भौतिक सत्यापन मे अनुपस्थिति पाये गए एवं उक्त अनुपस्थिति के संबंध मे तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा की कार्यवाही की समीक्षा रिपोर्ट ।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
07	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत स्थापित प्राथमिक विधालयों मे अध्यापको की कमी ,अधिकता एवं रिकितत्ता के संबंद मे उपशिक्षा अधिकारी जखोली स्तर से की करवाही की समीक्षा रिपोर्ट ।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
08	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत स्थापित प्राथमिक विधालयों मे के शिक्क्षो कर्मचारियो के स्थानांतरण के / संबंध मे शासन की नीति एवं आदेशो के तहत कितने प्रकरणो मे शिक्क्षो के आवदेन को शासन को संस्तुति व गैरसंस्तुति के साथ शासन को प्रेषित करने के संबंद मे उपशिक्षा अधिकारी जखोली स्तर से की कार्यवाही की समीक्षा रिपोर्ट ।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
09	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत स्थापित प्राथमिक विधालयों मे सेवा निविरत अध्यापक एवं शिक्षेरंतर कर्मचारिओ का %90सामन्य भविस्य निधि के आहरण हेतु कितने प्रकरणो की संस्तुति की गयी थी के संबंद मे उपशिक्षा अधिकारी जखोली स्तर से की कार्यवाही की समीक्षा रिपोर्ट ।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।
10	विकाश खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार के तहत उपशिक्षा अधिकारी जखोली द्वारा सप्तहा किन तीन -मे किन (वीकली) प्राथमिकविद्यालय का प्रभावी अनुसर्वण किया गया था उनकी निरीक्षण आख्या को ज़िला शिक्षा आधिकारी को प्रस्तुत किया गयान था , के संबंद मे उपशिक्षा अधिकारी जखोली स्तर से की करवाही की समीक्षा रिपोर्ट ।	सूचना इकाई स्तर से अपेकक्षित ।

संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पुंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही कि जायेगी एवं वंचित सूचना अविलंब संप्रेक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी । संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं हें क्योकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (12/18) तक अभिलेखो के रखरखोवों (maintenance) मे उदासिनता बरती गयी थी जिसके कारण उनके द्वारा सूचना संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी । प्रकरण आधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग– 2 'ब'

प्रस्तरः2 क्रय सामग्री के बाउचर उपलब्ध न होना (रू0 2.09 लाख) एवं स्टाक रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन न किया जाना।

कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी जखोली को वित्तीय वर्ष 2017–18 में इकाई के अन्तर्गत तीन राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों (रा0आ0प्रा0वि0 खलियाण, रा0आ0प्रा0वि0बुढना, रा0आ0प्रा0वि0 उदियाण गॉव हेतु मानक मद 42 अन्य व्यय में रू0 2.61 लाख आवंटित थे। अभिलेखों की लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा क्रय समिति का गठन कर निम्न लिखित सामग्री क्रय की गयी थी– 02 कम्प्यूटर, पुस्तकें, अग्नि शमन यंत्र, प्रबंन्धन, वाटर फ्यूरिफायर व रूम फैन हीटर। आगे जॉच में यह पाया गया कि पत्रावली में सम्बन्धित मॉडल विद्यालयों के अपनी आवश्यकतानुसार भेजे गये प्रस्ताव नहीं थे।

क्रय समिति द्वारा चयनित आपूर्तिदाता द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री के कैश मैमो/वाउचर्स रू0 52000 मुल्य के पाये गये। शेष रू0 2.09 लाख के वाउचर्स इकाई के पास उपलब्ध नही थे। क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर मे दर्ज कर सम्बन्धित मॉडल विद्यालयों को निर्गत किया जाना नहीं दर्शाया गया था एवं उसका सक्षम अधिकारी/ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वार्षिक सत्यापन नही कराया गया था। पुनः जॉच में यह पाया गया कि आपूर्तिदाता द्वारा जिन सामग्रियों (पुस्तकें, अग्नि शमन यंत्र, प्रबंन्धन, वाटर फ्यूरिफायर व रूम फैन हीटर,) की आपूर्ति की गयी। उनके वह विक्रेता नहीं था। आपूर्तिदाता द्वारा स्वयं उक्त सामग्री अन्य से क्रय कर अपने कैश मैमो / बिल मे आपूर्ति दिखायी गयी थी। अर्थात इकाई द्वारा आपूर्तिदाता का चयन सावधानी पूर्वक नहीं किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि जानकारी के अभाव में आदर्श विद्यालयों से क्रय सम्बंधी प्रस्ताव उनकी अवश्यक्तानुसार नहीं लिये गये तथा भविष्य में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी के स्टॉक रजिस्टर में क्रय सामग्री दर्ज कर विद्यालयों को निर्गत की जायेगी।

आपूर्तिदाता द्वारा किस प्रकार उन सामग्रियों की आपूर्ति की गयी जिनका वह स्वंय विक्रेता नहीं था, के सम्बन्ध में बताया गया कि विक्रेता द्वारा कार्यालय की मॉग के अनुसार सामान की आपूर्ति अपने स्तर से की गयी है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि मॉडल विद्यालयों के प्रस्ताव पत्रावली में न पाये जाने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका कि उनकी आवश्यक्तानुसार ही सामग्री क्रय की गयी । क्रय सामग्री के रू0 2.09 लाख के वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये थे, तथा उन्हे अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर वार्षिक सत्यापन नहीं कराया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर :3- नई पेंशन योजना के अन्तर्गत 131 नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारिओ के वेतन शीट /कोषगार शीट मे 15 कर्मचारिओ की एनपीएस नुमाना जांच मे नियोक्ता का अंश (state share) की ₹ 673039.00 की धनराशि जमा न होने के सम्बंध में।

उत्तराखंड राज्य मे दिनाक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारिओ/ कर्मचारियो हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंश दाई पेंशन योजना लागू की गयी थी। इस सम्बंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंश दाई पेंशन योजना /2010 दिनाक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश , 02- नियोक्ता का अंश (state share) के नाम जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनाक -06/04/17 मे स्पष्ट किया गया है कि अंश दाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुलये धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आर. ए0 को प्रेषित किया जाएगा। उक्त प्रकरण मे नई पेंशन योजना के अंतर्गत निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 15 नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारिओ के वेतन शीट /कोषगार शीट की नमूना जांच मे निम्न प्रकार NPS कटौतियाँ सुनिश्चित की गयी थी , जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	भुगतान का वर्ष	कर्मचारी का अंश%10))	सरकार का अंश(%10)	कुल योगमे (₹)
01	श्री अजीत कुमार	18-2017& 2018-19	68410.00=32692+35718	-	68410.00
02	श्रीमति मनोरमा कुमारी	18-2017	50621.00	-	50621.00
03	श्रीमति रीना जितवान	18-2017	50621.00	-	50621.00
04	श्रीमति प्रिंका नेगी	18-2017	50621.00	-	50621.00

05	श्रीमति लक्ष्मी' देवी	18-2017	50621.00	-	50621.00
06	श्रीमति लता सजवान	18-2017	50621.00	-	50621.00
07	श्रीमति सरोज देवी	18-2017	50621.00	-	50621.00
08	श्रीमति पुर्णिमा रौतेला	18-2017	50621.00	-	50621.00
09	श्री नीलार देवी	18-2017	50621.00	-	50621.00
10	श्रीमति सरिता कुमारी	18-2017	50621.00	-	50621.00
11	रजनी tamta	18-2017	51384.00	-	51384.00
12	ऋचा रावत	18-2017	36662.00	-	36662.00
13	श्रीमति नीलम रावत	18-2017	48196.00	-	48196.00
14	श्रीमति पुष्पा पंत	18-2017	11383.00	-	11383.00
15	ज्योत्सना बैरवार	18-2017	34495,00	-	34495.00
			कुल योग	-	673039.00

कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी जखोली जनपद –रुद्रप्रयाग मे कारयत 131 नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारिओ के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांचमे पाया गया है कि 15 कर्मचारिओ के नमूना जांच मे वेतन शीट /कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश (state share) सम्प्रेक्षा तिथि तक ₹ 706119 का जमा होना नहीं पाया गया था। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया है कि संस्था मे तैनात कर्मचारियों/ अधिकारिओं/ की NPS पासबुक एवं लेजर तैयार किये गए है परंतु उनके NPS पासबुक एवं लेजर मे 10% state share दर्ज नहीं किया जा रहा है।

कोषगार (रुद्रप्रयाग) के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) 03/2017 से जमा नहीं किया जा रहा हें । संप्रेक्षा जांच मे यह पाया गया कि इकाई द्वारा कोषा अधिकारी एवं निदेशालय को भी लगभग 02 वर्ष से इस सम्बंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी । इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पुंछे जाने पर कॉलेज द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा के निर्देशों का पालन करते हुऐ कार्यवाही कि जायेगी । संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं हें क्योंकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (12/18) तक कोई कार्यवाही नहीं कि थी। शासन आदेश मे-06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अनतेरगत न किए जाने के सम्बंध मे महालेखाकार

उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ती दर्ज कि गयी थी । प्रकरण आधिकारिओ के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर-4: कुल 25.90 लाख के बिल-वाउचर को लेखापरीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नही करना तथा रोकड़-बही मे Rs 2178.77 लाख की धनराशि की प्रवृष्टियों को सत्यापित न किया जाने का प्रकरण

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी जखोली की रोकड़ बही एवं बिल-वाउचर जांच मे निम्न लिखित लेखापरीक्षा आपत्तिया संज्ञान में आयी:-

(i) माह 06/2012 से 09/2013 तक कार्यालय द्वारा वेतन एवं अन्य भत्ते के रूप मे Rs 21,78,77,271**(Annexure 'A')**(जिसकी गणना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए BM-5 से की गयी) का व्यय किया गया जिसकी प्रविष्टियां रोकड़बही मे दर्ज की गयी थी या नही से संबंधी रोकड़ बही लेखापरीक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण इन माहों की लेखापरीक्षा जांच नही की जा सकी,

(ii) माह 04/2015 के Rs 23.28 लाख, माह 08/2016 के Rs 35.02 लाख, माह 08/2017 के Rs 19.66 लाख एवं माह 05/2018 के Rs 3.79 लाख के अर्थार्थ कुल Rs 81.75 लाख **(Annexure 'B')** के बिल-वाउचर को लेखापरीक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत नही किए गए,

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया कि माह 06/2012 से 09/2013 तक सभी प्रविष्टियां कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जखोली की रोकड़-बही में दर्ज की गई है तथा 09/2013 के उपरांत इस कार्यालय की अपनी रोकड़-बही तैयार की जा रही है। तथा संबन्धित माहों 04/2015 , माह 08/2016, माह 08/2017 एवं माह 05/2018 के बिल-वाउचर तत्काल उपलब्ध नही है बिल-वाउचर उपलब्ध होने के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अत: कुल 81.75 लाख के बिल-वाउचर को लेखापरीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत नही करना तथा रोकड़-बही मे ₹ 2178.77 लाख की धनराशि की प्रवृष्टियों को सत्यापित न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. **सतत् अनियमितताएः**

   -
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया**

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री उग्रसेन वर्मा	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा)(प्रभारी)	01-04-12 से 05-10-12
2	श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा) (प्रभारी)	06-10-12 से 15-05-14
3	श्री कुंवर सिंह	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा) (प्रभारी)	16-01-14 से 12-09-14
4	श्री कुन्दी लाल रडवाल	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा) (प्रभारी)	13-09-14 से 28-11-14
5	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा) (प्रभारी)	29-11-14 से 14-03-15
6	डॉ० सुरेन्द्र सिंह नेगी	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा) (नियमित)	14-03-15 से 06-10-16
7	श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल	उप शिक्षा अधिकारी(.शि .प्रा) (प्रभारी)	06-10-16 से अनवरत

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), जखोली, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.